सख्या-58/2016/2338/33-3-2016-100(20)/2016

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः** 03.10.2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पंचायत भवनों की वाल पेन्टिंग हेतु रू0 1320.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/3260/2016-5/196/2016 दिनांक 05.09.2016 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016 /बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/ 2016 दिनांक 22.08.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक आयोजनागत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101 पंचायतीराज-आयोजनागत-20-पंचायत भवनों की वाल पेन्टिंग-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू. 1320 लाख के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि रू. 1320 लाख (रू. तेरह करोड बीस लाख मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/ 2016 दिनांक 22.08.2016 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब इसका भुगतान सीधे संबंधित ठेकेदार को कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त किया जाना होगा। धनराशि आहरित का किसी भी बैंक अथवा पी.एल.ए. खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

shasanadesh.up.nic.in

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित कियसा जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक आयोजनागत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101 पंचायतीराज-आयोजनागत-20-पंचायत भवनों की वाल पेन्टिंग-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

(9) वाल पेन्टिंग योजना का स्वरूप निर्धारण एवं योजना का क्रियान्वयन किये जाने के लिए दिशा-निर्देश/कार्य योजना के स्वरूप निर्धारण हेतु निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2397/33-3-2016 दिनांक 09.09.2016 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। केवल भुगतान की प्रक्रिया निम्नलिखित उप प्रस्तर-10 के अनुसार होगी।

(10) यह वाल पेन्टिंग का कार्य सूचना विभाग द्वारा कराया जायेगा। सूचना विभाग के माध्यम से टेण्डर करवाने और अनुमोदन करने के उपरान्त वेण्डर/वेण्डर्स द्वारा ज्यों-ज्यों कार्य सम्पन्न किया जायेगा त्यों-त्यों वेण्डर/वेण्डर्स को, किये गये वाल पेन्टिंग कार्यो का भौतिक सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा करने के उपरान्त, देय धनराशि का भुगतान पंचायतीराज विभाग द्वारा वेण्डर/वेण्डर्स को किया जायेगा।

(11) योजना के सही रूप में क्रियान्वयन एवं तत्पश्चात उसके भुगतान और नियमानुसार कटौतियों का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक पंचायतीराज का होगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2 के अशासकीय पत्र संख्या-यू.ओ.-ई-2-927/X-2016, दिनांक 03.10.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)

विशेष सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/आडिट-2, इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0/मुख्य विकास अधिकारी
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0) उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in